तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.11.2025	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्ट्रर्ड एडी से भिजवाये गये जिसकी डिलेवरी रसीदे प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। करीब 3 माह से अधिक का समय व्यतित हो चुका हैं विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुउपस्थित। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाने गई, अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वंय या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रार्थी वकील द्वारा सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा–सेढ आये हुए हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे व कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों के कारण बिखर गये है जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बिच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता हैं।प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु मौके पर विवाद होने से विप्रार्थीगण सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नहीं हुए। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवानें बाबत् नेखमबन्दी करवानी आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थी के नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ भू. अ. नि. से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेंखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 17:09:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद/2025/ 762   दिनांकः– 20/01/26

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
बुदराराम पुत्र वागाराम जाति मेघवाल, निवासी मदासर नया कानोड़, तहसील गिड़ा		पदमाराम पुत्र बींजाराम वगैरा 4 निवासी मदासर नया कानोड़ तहसील गिड़ा, बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 182/2025

आदेश

प्रार्थी का खातेदारी खेत मौजा–मदासर नया कानोड़, पटवार हल्का–कानोड़ तहसील–गिड़ा के खेत खसरा संख्या 482/124 रकबा 2.8085 हेक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं। खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क 1000/–जमा करवाकर करें एवं पालना रिपोट पेंश करें। तथा अपेक्षित होने पर आपको संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांकः वाद/2025/ 763–768   दिनांकः– 20/01/26

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का कानोड़ को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख़ को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बुदराराम पुत्र वागाराम
4. विप्रार्थी पदमाराम पुत्र बींजाराम वगैरा 4
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 17:09:07 IST
Reason: SelfAttested